

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक : 03/प्रो.-05-03/2014/रॉची, दिनांक :/

—: आदेश :—

वित्त विभाग के संकल्प संख्या-2981/वि. दिनांक 01.09.2009 एवं 1746/वि. दिनांक 12.08.2011 में निहित प्रावधानों के आलोक में दिनांक 16.07.2018 को विभागीय स्क्रीनिंग समिति की सम्पन्न बैठक में प्राप्त अनुशंसा के आलोक में निम्न सारणी के स्तम्भ-02 में अंकित कनीय अभियंताओं को संशोधित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन (MACP) योजना के तहत स्तम्भ-04 एवं 05 में वर्णित तिथि से क्रमशः प्रथम एवं तृतीय वित्तीय उन्नयन का लाभ क्रमशः वेतनमान PB-II रु. 9300-34800, ग्रेड पे 4600 (Level-7) एवं PB-III रु. 15600-39100, ग्रेड पे 6600 (Level-11) में स्वीकृत किया जाता है :-

क्रमांक	कनीय अभियंता का नाम/पदस्थापन स्थान/ गृह जिला/जन्म तिथि/ आई.डी.कोड	नियुक्ति की तिथि	दस वर्ष की सेवा पूर्ण करने के फलस्वरूप एम.ए.सी.पी. योजना के तहत स्वीकृत द्वितीय वित्तीय उत्क्रमण वेतनमान PB-II 9300-34800 ग्रेड पे रु. 4600/- (Level-7) देय तिथि	तीस वर्ष की सेवा पूर्ण करने के फलस्वरूप एम.ए.सी.पी. योजना के तहत स्वीकृत तृतीय वित्तीय उत्क्रमण वेतनमान PB-III 15600-39100 ग्रेड पे 6600/- (Level-11) देय तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	श्री अनिल कुमार झा / ग्रा० वि० वि० प्र०, देवघर/ भागलपुर/02.03.60/ जे० 7637	31.01.87	—	31.01.17	
2.	श्री अरुणोदय कुमार/ ग्रा० वि० वि० प्रमंडल, देवघर/पटना/ 01.04.65/जे०-8643	09.05.88	—	09.05.18	
3.	श्री सुदर्शन प्रसाद सिंह/ जलपथ अंचल, हजारीबाग/ औरंगाबाद/01.02.64/ जे०-7794	20.01.87	—	20.01.17	
4.	श्री भरत प्रसाद सिन्हा/ कोनार नहर प्रमंडल, डुमरी/हजारीबाग/ 14.01.60/जे०-8050	11.03.87	—	11.03.17	

७९

5.	श्री उदय शंकर गोस्वामी / ग्रा० वि० वि० प्रमंडल, साहेबगंज/भागलपुर/ 02.01.1961/ जे०-7682	20.01.87	—	20.01.17	
6.	श्री राणा विजय शंकर सिंह / ग्रा० वि० वि० प्रमंडल, राँची /भोजपुर/ 01.01.65/ जे०-7467	21.01.87	—	21.01.17	
7.	श्री अनिल कुमार सिंह / ग्रा० वि० वि० प्रमंडल, राँची/भोजपुर/ 15.01.64 / जे०-8166	13.03.87	—	13.03.17	
8.	श्री मदन मोहन सिंह / ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, पाकुड़/नालन्दा/ 01.12.60 / जे०-8078	10.03.87	—	10.03.17	
9.	श्री सिद्धेश्वर पाठक / ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, दुमका/रोहतास/ 28.08.61 / जे०-7817	20.01.87	—	20.01.17	
10.	श्री उपेन्द्र प्रसाद भगत / ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, राँची/भागलपुर/ 22.01.59 / जे०-7436	16.01.87	—	01.04.17	निंदन के कुप्रभाव के कारण देय तिथि परिवर्तित।
11.	श्री महेन्द्र तिवारी / ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, गोड़डा/कैमूर/ 20.01.60 / जे०-7811	20.01.87	—	20.01.17	
12.	श्री तुलसी प्रसाद सिंह / नहर रूपांकण प्रमंडल, सं०-01, जमशेदपुर / नवादा/ 03.05.61 / जे० 7689	19.01.87	—	19.01.17	
13.	श्री मनोज कुमार सिंह / संयुक्त सचिव (प्र०) कोषांग, जल संसाधन विभाग, राँची/रोहतास / 08.11.70 / जे० सी०-0046	20.11.07	20.11.17	—	
14.	श्री शेखर कुमार / ल० सि० गुण नि० प्रमंडल, राँची/गिरिडीह / 29.06.67 / जे० 7607	16.01.87	—	16.01.17	
15.	मो० मुस्तफा / रूपांकण प्रमंडल सं०-02, राँची/हजारीबाग / 25.12.61 / जे० 7590	16.01.87	—	16.01.17	

109

16.	श्री प्रदीप कुमार/ कनीय अभियंता/ ल० सि० प्रमण्डल, राँची/गया/13.09.62/ जे० 7557	17.01.87	—	17.01.17	
17.	श्री मनोज कुमार सिंह/ लघु सिंचाई प्रमण्डल, राँची/गोपालगंज/18.02.83 जे० सी०-0045	20.11.07	20.11.17	—	
18.	श्री सुनील कुमार राम/ सिंचाई यांत्रिक प्रमंडल, राँची/हजारीबाग/ 24.08.76/जे० एम०-0018	20.11.07	20.11.17	—	
19.	श्री लाल बिहारी यादव/ सिंचाई यांत्रिक प्रमंडल, राँची/पलामू/06.09.70/ जे० एम०-0016	20.11.07	20.11.17	—	
20.	श्री विनय शर्मा/ लघु सिंचाई गुण नियंत्रण प्रमंडल, राँची/जहानाबाद/ 27.01.1961/जे०-7649	24.01.87	—	24.01.17	
21.	श्री राम लखन सिंह/ लघु सिंचाई प्रमंडल, मेदिनीनगर/औरंगाबाद/ 12.02.1972/जे० सी०-0014	20.11.07	20.11.17	—	
22.	श्री प्रदीप कुमार रजक/ लघु सिंचाई प्रमंडल, सिमडेगा/साहेबगंज/ 18.08.75/जे० सी०-0093	20.11.07	20.11.17	—	
23.	श्री रमेश प्रसाद ठाकुर/ लघु सिंचाई प्रमंडल, राँची/ मुजफ्फरपुर/11.02.61/ जे०-7888	20.01.87	—	20.01.17	
24.	श्री देवेन्द्र नाथ सिंह/ लघु सिंचाई प्रमंडल, राँची/बलिया/01.08.63/ जे०-8837/	29.04.88	—	29.04.18	
25.	श्री विजय कुमार/ लघु सिंचाई गुण नियंत्रण प्रमंडल, राँची/भोजपुर/ 05.01.61/जे० 7683	28.01.87	—	28.01.17	
26.	श्री मनोज कुमार/ लघु सिंचाई गुण नियंत्रण प्रमंडल, दुमका/दुमका/ 05.01.82/जे० सी० 0078	22.11.07	22.11.17	—	

27.	श्री सुनील कुमार सिंह/ लघु सिंचाई गुण नियंत्रण प्रमंडल, राँची/दरभंगा/ 26.11.63/ जे०-7845	20.01.87	—	20.01.17	
-----	---	----------	---	----------	--

(ख) वित्तीय उन्नयन के तहत प्रदत्त वित्तीय लाभ उन्नयन के फलस्वरूप निर्धारित वेतन के योजन-सह-वित्त विभाग (वित्त प्रभाग) से सत्यापनोपरांत ही देय होगा।

(ग) उपर्युक्त स्वीकृत वित्तीय उन्नयन में अगर कोई त्रुटि पायी जाती है अथवा मंत्रिमंडल निगरानी या किसी अन्य स्रोत से निगरानी स्वच्छता प्रतिकूल प्राप्त होता है तो स्वीकृत लाभ को रद्द/संशोधित कर भुगतान की गई राशि की एक मुस्त वसूली कर ली जाएगी और इसके विरुद्ध किसी प्रकार का दावा सरकार या न्यायालय में विचारणीय नहीं होगा।

(घ) प्रस्ताव पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति एवं अपर मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-
(मनोज कुमार)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :- राँची, दिनांक :-
प्रतिलिपि:-महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-
(मनोज कुमार)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :- राँची, दिनांक :-
प्रतिलिपि:-संबंधित कोषागार पदाधिकारी, झारखण्ड, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-
(मनोज कुमार)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :- 3312 राँची, दिनांक :- 03/10/18
प्रतिलिपि:-अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची/प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड राँची/सचिव, नगर विकास विभाग, राँची/प्रशासक, सुवर्णरेखा बहुउद्देशीय परियोजना आदित्यपुर, जमशेदपुर/माननीय मंत्री (जल संसाधन) के आप्त सचिव (दो प्रतियों में)/अभियंता प्रमुख-01 एवं 02, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची/मुख्य अभियंता ग्रामीण विकास विशेष प्रक्षेत्र, राँची/संबंधित सभी मुख्य अभियंता (लघु सिंचाई सहित)/ निदेशक, भूगर्भ जल निदेशालय, राँची/विभागान्तर्गत विशेष सचिव/संबंधित सभी अधीक्षण अभियंता/संबंधित सभी कार्यपालक अभियंता/संबंधित सभी कनीय अभियंता/प्रशाखा-03 एवं 08/बायोडाटा कोषांग/वेब इन्फार्मेशन मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(मनोज कुमार)
सरकार के अवर सचिव।